GCMS - 2025/245

APP-A
Crim-1

FORM No. III

फ़र्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ......उपखण्ड अधिकारी...... मुकाम ......कोटा......

......सरकार...... बनाम ......राजेन्द्र......

किस्म मुकदमा ......L.R. Act - 136...... नं. ......39...... सन् ......2025......

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुक्म की तामील में जारी हुए
12/5/25	राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। जांच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना–पत्र पर बहस कर प्रार्थना–पत्र स्वीकार जाने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना–पत्र सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक ......20/5/25...... को पेश हो।	
20/5/25	पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी द्वारा ग्राम अरण्डखेड़ा के खाता संख्या 374 में नामान्तरण संख्या 750 दिनांक 06.07.2006 विरासत द्वारा जगदीश पुत्र मोहनलाल, देवकीनन्दन पुत्र मोहनलाल व राजेन्द्र पुत्र मोहनलाल का नाम दर्ज हुआ। जबकि जगदीश पुत्र मोहनलाल देवकीनन्दन पुत्र मोहनलाल व राजेन्द्र पुत्र मोहनलाल हिस्सा 1/4 की एक प्रविष्टि पूर्व से ही दर्ज है। मोहनलाल के फौती नामान्तरण से उक्त नाम की दोहरी प्रविष्टि दर्ज हुई जिसे दुरूस्त करवाने हेतु अप्रार्थी द्वारा आवेदन किया है। ग्राम अरण्डखेड़ा के खाता संख्या 374 में विरासत द्वारा जगदीश पुत्र मोहनलाल, देवकीनन्दन पुत्र मोहनलाल व राजेन्द्र पुत्र मोहनलाल की डबर एन्ट्री हुई है। जिससे खाता अपवादित हो गया है। तथा अन्य कार्य सीमित हो गया है। पटवारी रिपोर्ट अनुसार उक्त नाम एक ही व्यक्ति के है। जिसे दुरूस्त किया जाना है। अतः उक्त प्रविष्टियों को दुरूस्त करने के क्षेत्राधिकार का श्रीमान न्यायालय को है। ग्राम अरण्डखेड़ा के खाता संख्या 374 में जगदीश पुत्र मोहनलाल, देवकीनन्दन पुत्र मोहनलाल व राजेन्द्र पुत्र मोहनलाल नाम को एक करने की कृपा करें। पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में कथन किया है कि ग्राम अरण्डखेड़ा के खाता संख्या 374 पर स्वतः स्वीकृत नामा0 संख्या 750 दिनांक 06.07.2006 विरासत द्वारा अप्रार्थीगण का नाम डबल बार एन्ट्री हो रही है। उक्त त्रुटी ऑनलाईन म्युटेशन के कारण हुई है। जिसकी शुद्धि किया गया उचित है। प्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर ग्राम अरण्डखेड़ा के खाता संख्या 374 में जगदीश पुत्र मोहनलाल हिस्सा 1/16 व जगदीश पुत्र मोहनलाल हिस्सा 1/4 के स्थान पर जगदीश पुत्र मोहनलाल हिस्सा 5/16, देवकीनन्दन पुत्र मोहनलाल हिस्सा 1/4 व देवकीनन्दन पुत्र मोहनलाल हिस्स 1/16 के स्थान पर देवकीनन्दन पुत्र मोहनलाल हिस्सा 5/16 तथा राजेन्द्र पुत्र मोहनलाल हिस्सा 1/16 व राजेन्द्र पुत्र मोहनलाल हिस्सा 1/4 के स्थान पर राजेन्द्र पुत्र मोहनलाल हिस्सा 5/16 दर्ज करने के आदेश दिए जाते है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावें। 21/5/25 उपखण्ड अधिकारी कोटा	